



UPFD010004102017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 विशेष सत्र वाद सं०- 41/2017

राज्यअभियोजनपक्ष
 बनाम

1- योगेश यादव पुत्र पप्पू,
 2- वीरेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह,
 समस्त निवासीगण- जसलई, थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद।
अभियुक्तगण।

धारा- 323,324,504 भा०द०सं०
 व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 थाना- शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद।
 अपराध संख्या- 1030/2016,

निर्णय

- उपरोक्त विशेष सत्र -परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 1030/2016 में अभियुक्तगण योगेश यादव एवं वीरेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323,324,504 भा०द०सं०, व धारा 3(1)द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया।
- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी श्याम सिंह पुत्र विद्याराम, निवासी- नगला प्रभू (अरोज), थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद (Informant) द्वारा थानाध्यक्ष शिकोहाबाद को प्रार्थना पत्र दिनांकित 27-10-2016 प्रदर्श क-1 निम्न आशय का प्रस्तुत किया गया है कि-

“निवेदन है कि प्रार्थी का भाई सनी सिंह पुत्र विद्याराम निवासी नगला प्रभू (आरोंज) थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद दिनांक 26-10-2016 को समय करीब 11.30 बजे दिन घर से खेत पर गया ता वहाँ से वह नहर के किनारे चला गया वहाँ पर पहुँचा तो योगेश यादव व तीन अन्य लोगों ने मिलकर मेरे भाई सनी सिंह से गाली गलौज करते हुए उसकी मारपीट

करने लगे जब मेरे भाई ने विरोध किया तो उक्त योगेश यादव ने मेरे भाई सनी सिंह के ऊपर जान लेवा हमला करने की नीयत से दराती से वार कर दिया जो उसने अपने बाये हाथ पर दराती रोक ली दो तीन वार दराती से वार करने पर भाई सनी सिंह के हाथ में गहरा घाव हो गया है। चीख-पुकार सुनकर राजकुमार पुत्र रामसनेही व भूरा पुत्र महेश आ गये जिनको देखकर उक्त लोग मौके से भाग गये। मेरा भाई घायल पड़ा था जिसे उठा लाया और सीधा थाने रिपोर्ट करने आया हूँ। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करें।

3. उपरोक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना शिकोहाबाद पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 1030/2016, अन्तर्गत धारा 307,323,504 भा०दं०सं० व धारा 3(2) 5, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांकित 27-10-2016 को प्रदर्श क-2 के रूप में अभियुक्त योगेश यादव व तीन अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (G.D.) में गयी, जिसकी प्रति पत्रावली पर प्रदर्श क-3 है।

4. विवेचना अग्रसारित करते हुए विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण योगेश यादव व वीरेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-6 प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण को नकले प्राप्त करायी गयी। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पर्याप्त आधार पाये जाने पर अभियुक्तगण योगेश यादव एवं वीरेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323,324,504 भा०दं०सं०, व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांक 23-05-2019 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

6. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 श्याम सिंह	वादी मुकदमा (Informant)
2	PW-2 सनी सिंह	साक्षी/चोटहिल
3	PW- 3 राजकुमार	(चश्मदीद साक्षी)
4	PW- 4 भूरा	(चश्मदीद साक्षी)
5	PW- 5 का० 451 शिवदयाल	चिक लेखक
6	PW- 6 डा० श्याम मोहन गुप्ता	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता

7	PW- 7 हेड का० हरेन्द्र कुमार	द्वितीयक साक्षी
---	------------------------------	-----------------

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	प्रार्थना पत्र/तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 2
3	जी०डी०	प्रदर्श क- 3
4	मेडिकल रिपोर्ट सनी	प्रदर्श क- 4
5	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 5
6	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 6

8. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों को गलत बताया तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया।

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 324 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- यह कि अभियुक्त ने शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शौथिल्य कारित किया,
- यह कि उसने ऐसा साशय या इस ज्ञान के साथ किया कि यह कार्य शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित करेगा,
- यह कि वह आवेश में नहीं था;
- यह कि यह किसी असन, बेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा, जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है या किसी जीन जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- (iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

उपधारा धारा (द)- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभिभ्रस्त करेग,

उपधारा धारा (ध)- लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली-गलौज करेगा।

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 1 श्याम सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 26-10-2016 समय 11.30 बजे दिन की है। मैं अपने घर पर था। मेरा भाई सनी खेत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में नहर पर योगेश यादव, वीरेन्द्र मिले। अन्य दो व्यक्ति और थे। इन लोगों ने मेरे भाई सनी सिंह के साथ मारपीट की थी। मारपीट दरांती से की थी। मेरे भाई के चोट आयी थी। मौके पर गाँव के दो लड़के राजकुमार, भूरा आ गये थे। उन्हें देखकर अभियुक्तगण भाग गये। भूरा ने घर पर आकर बताया कि सनी सिंह के साथ वारदात हो गयी है। मैं अपने भाई को थाना लेकर गया था। तहरीर मैंने टाइप करायी थी। उस पर मैंने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस अधिकारी ने मेरा बयान लिया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/3 तहरीर पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। इस तहरीर पर प्रदर्श क-1 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 सनी सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 26-10-2016 की है। समय 11.00 या 12.00 बजे दिन का था। मैं अपने खेत पर जा रहा था। मुझे नदी की पट्टी पर योगेश मिला। योगेश ने गाली गलौज की चमार बोला था। उसके साथ एक वीरेन्द्र भी था। उसने भी मारा पीटा था। दोनों लोगों ने मुझे दराती व लात घूंसों से मारापीटा था। मेरे चार-पाँच चोटे आयी थी। मौके पर मेरे गाँव के दो लोग राजकुमार व भूरा आ गये थे। इन लोगों ने मुझे बचाया था। मुझे बेवजह मारा था। मैंने अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल शिकोहाबाद में कराया था। थाना पर रिपोर्ट मेरे भाई श्याम सिंह ने लिखाई थी। सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 3 राजकुमार को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 26-10-2016 की है। समय 11.30 बजे दिन का था। मैं अपने गाँव से सैफन नहर की तरफ जा रहा था। मैं सैफन पहुंचा था वहाँ मैंने देखा कि योगेश यादव, सनी से गाली गलौज कर रहा था तथा कह रहा था कि चमरे ज्यादा बनता है तथा सनी के शरीर से खून निकल रहा था। खून इस कारण निकल रहा था कि सनी के योगेश ने दराती से जान से मारने की नीयत से वार किया था। मेरे साथ भूरा भी था। उसके बाद मैंने सनी के घर पर खबर की थी। सनी के घरवाले उठाकर बाजार में दवा दिलाने ले गये थे।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 भूरा को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 26-10-2016 की है। समय 11.30 बजे दिन का था। मैं अपने घर से सैफन नदी की तरफ जा रहा था। मैंने देखा कि सनी के साथ योगेश, वीरेन्द्र मारपीट कर रहे थे। योगेश के हाथ में दराती थी। वीरेन्द्र के हाथ में डण्डा था। मुल्जिमान गाली-गलौज कर रहे थे। चमार कहकर सनी को अपमानित कर रहे थे। जैसे मैं पहुंचा था वह दोनों चले गये थे। मैंने यह घटना अपनी आँखों से देखी थी। चोट सनी के हाथ में, सिर में आयी थी। खून निकल रहा था। मैं फिर सनी के

घर आकर श्याम सिंह भाई को बताया था। इस घटना के सम्बन्ध में मेरा सी०ओ० साहब ने बयान लिया था।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 451 का० शिवदयाल को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 27-10-2016 को थाना शिकोहाबाद में का० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा श्याम सिंह की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 1030/2016, धारा 307,323,504 भा०दं०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम योगेश व तीन अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया था। चिक एफ०आई०आर० मैंने बोलकर का० क्लर्क नरेन्द्र कुमार से कम्प्यूटर पर टाइप करायी थी। चिक एफ०आई०आर० पर एस०आई० सर्वेश कुमार के हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर मौजूद चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया। गवाह ने एस०आई० सर्वेश कुमार के हस्ताक्षर की शिनाख्त की। जिसका खुलासा मैंने उसी दिन रपट नं० 25 समय 13.00 बजे रोजनामचाआम में कराया था। जिसे का० क्लर्क नरेन्द्र ने किया की थी। जिसकी असल साथ लेकर आया हूँ। जी०डी० पत्रावली पर है। जिसको मैं प्रमाणित करता हूँ। जी०डी० पर प्रदर्श क-3 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 6 डा० श्याम मोहन गुप्ता को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 6 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 26-10-16 को जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में बतौर EMO तैनात था। उस दिन समय 02.18PM पर मजरुब सनी पुत्र विद्याराम के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया था। जिसे होमगार्ड 1369 कौशल किशोर थाना शिकोहाबाद लेकर आये थे। मजरुब के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई-

चोट नं० 1- एक कटा हुआ घाव 5.6cmX0.5cmX माँस तक गहरा बांयी हाथ की बांयी तरफ था। चोट के किनारे साफ सुथरे थे।

चोट नं० 2- एक खरोच सहित नीलगू निशान 1X1cm जो बांये हाथ के बाहरी तरफ मध्य उंगली में लालिमा लिये थी।

चोट नं० 3- एक कटा हुआ घाव U आकार का था जो 14cmX0.5cmX माँस तक गहरा था। जो बांयी अग्र

भुजा के लोअर 1/3 पार्ट पर थी। घाव के किनारे अव्यवस्थित थे।

चोट नं० 4- एक नीलगू निशान 7cmX2cm लेफ्ट अपर आर्म पर लालिमा लिये स्थित था।

चोट नं० 5- छाती के दाहिनी तरफ पीछे कीओर दर्द की शिकायत की थी। कोई भई जाहिरा चोट नहीं थी।

चोट नं० 6- एक नीलगू निशान 2mX2cm जो सिर के दाहिनी तरफ था। जो दाहिने कान से 7cm ऊपर की तरफ था।

मेरी राय में सभी चोटें साधारण व ताजी थी। चोट सं० 1 किसी धारदार हथियार से आना संभव है। बाकी सभी चोटें किसी कुन्द हथियार से आना संभव हैं। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 6 अ मेडिकल रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, इस पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 7 हेड का० हरेन्द्र कुमार शर्मा को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 7 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं पैरोकार शिकोहाबाद के पद पर तैनात हूँ। इस घटना के विवेचक श्री वी०के० तिवारी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद सर्किल में तैनात रहें हैं। इनको लिखते पढते मैंने भली भांति देखा है। मैं फिरोजाबाद में वर्ष 2015 मई से पैरोकारी का कार्य कर रहा हूँ। श्री वी०के० तिवारी की मृत्यु दिनांक 04-04-2019 को हो चुकी है। जिसके संबंध में मृत्यु रिपोर्ट व प्रमाण पत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया। इस घटना की विवेचना श्री वी०के० तिवारी क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी है। पत्रावली पर कागज सं० 5 अ नक्शा नजरी पर उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया एवं आरोप पत्र भी उनके द्वारा तैयार किया गया, जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। मैं उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ।"

10. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

11. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 26-10-2016 को समय लगभग 11.30 बजे ग्राम नगला प्रभू (अरोंज) में स्थित नहर के किनारे मारपीट कर साधारण उपहति,

धारदार हथियार से गंभीर उपहति कारित करते हुए गाली-गलौज किया और जाति सूचक गालियां लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर किया अथवा नहीं ?

12. आरोपों के युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। वादी श्याम सिंह पी०डब्लू० 1 चोटहिल पी०डब्लू० 2 सनी सिंह के सगे भाई हैं। घटनाक्रम के अनुसार घटना के सम्बन्ध में श्याम सिंह पी०डब्लू० 1 ने टाइपशुदा प्रार्थना पत्र दिनांक 27-10-2016 को थानाध्यक्ष शिकोहाबाद को प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार दिनांक 26-10-2016 को वादी का भाई सनी सिंह समय लगभग 11.30 बजे घर से खेत पर गया था। वहाँ नहर के किनारे चला गया इसी समय वहाँ योगेश यादव व तीन अन्य लोगों ने मिलकर सनी सिंह से मारपीट किया, उससे गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर अभियुक्त योगेश यादव ने सनी सिंह के ऊपर जानलेवा हमला करने की नीयत से दराती से वार कर दिया। बाँये हाथ में गहरा घाव हो गया। चीख-पुकार पर राजकुमार व भूरा निवासी नगला प्रभू (अरोंज) आ गये। अभियुक्तगण मौके से भाग गये। भूरा ने गाँव में आकर खबर दी। उस पर वादी व उसके परिवार के लोग मौके पर गये। घायल भाई सनी पड़ा हुआ था। उसे उठाया गया और सीधे थाने पर ले गये। उक्त तहरीर के आधार पर अभियोजन साक्षी का० 451 शिव दयाल पी०डब्लू० 5 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अ०सं० 1030/2016, धारा 307,323,504 भा०दं०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम योगेश व तीन अन्य अभियुक्त पंजीकृत किया। इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 5 ने कहा कि मैं दिनांक 27-10-2016 को थाना शिकोहाबाद में का० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा श्याम सिंह पुत्र विद्याराम, निवासी नगला प्रभू (अरोंज) की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 1030/2016, धारा 307,323,504 भा०दं०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम योगेश व तीन अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया था। चिक एफ०आई०आर० मैने बोलकर का० क्लर्क नरेन्द्र कुमार से कम्प्यूटर पर टाइप करायी थी। चिक एफ०आई०आर० पर एस०आई० सर्वेश कुमार के हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर मौजूद चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया। गवाह ने एस०आई० सर्वेश कुमार के हस्ताक्षर की शिनाख्त की। उक्त एफ०आई०आर० की प्रविष्टि रपट सं० 25 के रूप में समय 1.00 बजे रोजनामचाआम में जी०डी० में की गयी। जी०डी० की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर प्रदर्श क-3 को भी साबित किया गया। साक्षी ने प्रति-परीक्षा में कहा कि तहरीर में कोई जाति सूचक शब्द नहीं

है और ना ही वादी के नाम पते और जाति का उल्लेख है। तहरीर में मुल्जिम योगेश की जाति यादव लिखी है। वादी ने पूछने पर बताया था कि वह अनुसूचित जाति का है। इसी आधार पर चिक एफ०आई०आर० में एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धाराएं लगाई गईं। उस समय मजरूब सामने नहीं आया था। केवल वादी आया था। मजरूब की डाक्टरी 26-10-2016 को हो चुकी है। कम्प्यूटर लेखक से बोलकर उसी दिन 13.00 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट और जी०डी० लिखाई थी।" इस सम्बन्ध में वादी पी०डब्लू० 1 ने अपने शपथपूर्वक बयान में भई कहा कि घटना दिनांक 26-10-2016 को समय 11.30 बजे की है। मैं अपने घर पर था। मेरा भाई सनी खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में वहाँ पर योगेश यादव, वीरेन्द्र मिला, अन्य दो व्यक्ति और थे। इन लोगों ने मेरे भाई सनी सिंह के साथ मारपीट की थी। मारपीट दराती से की थी। मेरे भाई के चोटें आई थी। मौके पर गाँव के दो लड़के राजकुमार व भूरा आ गये थे। जिन्हें देखकर अभियुक्तगण भाग गये। भूरा ने घर पर आकर बताया कि सनी सिंह के साथ वारदात हो गयी है। मैं दोनों भाई को थाने लेकर गया था। इस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। पुलिस अधिकारी ने मेरा बयान लिया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/3 तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्शक-1 अंकित किया गया।" प्रति-परीक्षा में कहा कि जिस स्थान पर मेरे भाई के साथ घटना कारित हुई थी वह मेरे घर से चार खेत दूर है। इस घटना के सम्बन्ध में सबसे पहले मुझे घर पर आकर भूरा नाम के व्यक्ति ने बताया था। भूरा नाम का व्यक्ति मेरे गाँव का है। मैं घटना स्थल पर समय 11.45 बजे दिन में पहुंचा था। मैंने इस घटना को अपनी आँखों से स्वयं नहीं देखा था। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि मैं जब घटना स्थल पर अपने भाई के पास पहुंचा था तब वह होश में था। घटना के सम्बन्ध में भाई ने बताया था। मैंने रिपोर्ट लिखाई थी। मेरे भाई सनी सिंह ने अभियुक्त योगेश यादव का नाम बताया था तथा तीन अन्य लोग बताये थे। जिनके नाम नहीं बताये थे। अग्रेतर कहा कि जब भाई के पास पहुंचा था तब वहाँ पर राजकुमार नाम का व्यक्ति था। राजकुमार से मैंने पूछा कि घटना कैसे हुई थी, तो राजकुमार ने कहा कि मैं और भूरा आ रहे थे, तो सनी सिंह को मारते मैंने देखा था। फिर वह लोग भाग गये थे। अग्रेतर कहा कि मैं अपने भाई के शरीर पर 6 चोट देखी थी। यह 6 चोटें सीधे हाथ पर, सिर में, पीठ पर, बाजू पर, कंधे

पर थी। एक चोट का ध्यान नहीं है। इन चोटों से खून निकला था। खून सिर वाली तथा हाथ वाली चोट से निकला था। सिर में व हाथ में कटे हुये घाव की चोटें थी। पीठ में, कंधे पर डण्डे व लात की चोटें थी। पीठ में व कंधे पर नीलगू पड़ गया था। सभी चोटें नीली थी। स्वयं कहा कि डण्डे व लाठी की चोटों में नीलापन था। डण्डे व लाठी की चोट पीठ व कंधे पर तथा पैर में थी। दोनों पैर में चोट थी। चोटें जाँघ में थी, घुटने के नीचे थी, जाँघ व घुटने के नीचे दोनों पैरों में थी। यह सभी घाव नीले थे। जिस स्थान पर मेरा भाई मिला उसके पूर्व में गाँव जसलई है। पश्चिम में नहर है। उत्तर में नदी है। दक्षिण में हमारा गाँव है। घटना स्थल के उत्तर दिशा में सहपन नहर का पुल है। घटना स्थल के दक्षिण में किसका खेत है मुझे नहीं पता। घटना स्थल के पूर्व में जसलई के लिये सीधी रास्ता जाती है। पश्चिम में नहर है। घटना स्थल पर मैं कतई नहीं रूका था। तुरन्त अपने भाई को लेकर थाने गया था। आगे कहा कि घटना स्थल से मैं अपने भाई को मोटरसाइकिल से ले गया था। सूचना मिलने पर मैं घटना स्थल पर अपने घर से मोटरसाइकिल से गया था और उसी मोटरसाइकिल से मैं अपने भाई को थाना ले गया था। मेरी मोटरसाइकिल खुद की है, जिसका नम्बर UP 83 W 0965 है।----- में समय 01.00 बजे दिन पहुँच गया था। थाने पर मैं आधा घण्टा पौने घण्टा रूका था। मैंने थाना पर पहले तहरीर दी थी। फिर एक पुलिस वाला थाने से साथ सरकारी अस्पताल शिकोहाबाद लेकर गया था। मेरे भाई की थाने से पुलिस वालों लेकर गये थे। मैं भी अपने भाई के साथ हास्पिटल गया था। हास्पिटल में मैं 02.00 बजे दिन पहुँच गया था। अस्पताल में मैं आधा घण्टा पौने घण्टा रूके थे। हास्पिटल से मैं अपने भाई को अपने घर ले गया था। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ की थी। इस घटना के 5-6 दिन बाद तथा घटना स्थल पर पूछताछ की थी। पूछताछ के समय पुलिस वाले मुझे घर से लेकर गये थे। मेरे साथ मैं और मेरा भाई गया था।-----

चोटहिल सनी सिंह पी०डब्लू० 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि "घटना दिनांक 26-10-2016 की है। समय 11.00 या 12.00 बजे दिन का था। मैं अपने खेत पर जा रहा था। मुझे नदी की पट्टी पर योगेश मिला। योगेश ने गाली गलौज की चमार बोला था। उसेक साथ एक वीरेन्द्र भी था। उसने भी मारा पीटा था। दोनों लोगों ने मुझे दराती

व लात घूंसों से मारापीटा था। मेरे चार-पाँच चोटे आयी थी। मौके पर मेरे गाँव के दो लोग राजकुमार व भूरा आ गये थे। इन लोगों ने मुझे बचाया था। मुझे बेवजह मारा था। मैंने अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल शिकोहाबाद में कराया था। थाना पर रिपोर्ट मेरे भाई श्याम सिंह ने लिखाई थी। सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था।" प्रति-परीक्षा में कहा कि मेरे साथ जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मैं अपने घर से 11.00-11.30 बजे दिन गया था। मारपीट मेरे साथ 12.00 बजे दिन हुई थी। मारपीट नदी के पुल पर हुई थी। मारपीट करने वाले दो लोग थे। दोनों लोगों के नाम मैं पहले से जानता था। यह दोनों लोग मेरे गाँव के हैं। बराबर वाले गाँव के हैं। यह दोनों लोग मुझसे मिलते-जुलते रहते थे। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि मेरा मुल्जिमानों से पहले से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। मारपीट 2-3 मिनट तक की थी। अभियुक्त योगेश के पास दराती थी। वीरेन्द्र के पास भी दराती थी। योगेश ने दराती से मारा था। वीरेन्द्र ने भी दराती व डण्डे से मारा था। मुझे पहली दराती योगेश ने बाँये हाथ में मारपीट थी। बाँये हाथ मके पंजे पर मारी थी। दूसरी दराती योगेश ने ही सिर में मारी थी। वीरेन्द्र ने दराती हाथ बांये में मारी थी और पीठ पर लात-घूंसे मारे थे। दोनों लोगों की दराती से तीन घाव आये थे। इन तीनों चोटों से खून काफी मात्रा में निकला था। लाठी और डण्डे की चोटें दोनों पैर में तथा पीठ में थी। लाठी, डण्डे की कुल 6-7 चोटें आई थी।----- मुझे दो लोगों ने ही मारपीट की थी। तीन लोगों ने मारपीट नहीं की थी। तीन लोगों ने मारपीट नहीं की थी। तीसरे व्यक्ति पर डण्डे वाली बात जो बता रहा हूँ, वह मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। मेरा भाई मुझे घर से लेने पहुँचा था। तब मुझे होश आया था। मेरा भाई करीब 10-15 मिनट में पहुँच गया था। मेरा भाई बाइक से गया था। गाँव के लोगों भूरा, राजकुमार ने मेरे भाई की सूचना घर पर जाकर दी थी। मैं बेहोश हो गया था इसलिये मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ घटित होने की सूचना मेरे भाई को किसने दी थी। मेरे भाई ने मेरे पास आने पर बताया था। मेरे भाई ने सूचना देने वालों के नाम बताये थे।----- मेरा भाई घटना स्थल पर अकेले गया था। मैंने अपने हाथ वाले घाव को शर्ट से उतार कर बांध लिया था। मेरी सिर वाली चोट से मेरी बनियान खून से खराब हो गयी थी तथा पैन्ट पर भी खून लग गया था। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि जिस स्थान पर

मेरी मारपीट हुई थी वह स्थल घटना स्थल के पूर्व में जसरई के लिये कच्चा रास्ता जाता है। पश्चिम में नहर है। उत्तर में खेत है। नाम पता नहीं है जिसका खेत है। दक्षिण में नदी है। जिस स्थान पर बेहोश होकर गिर गया था वहाँ पर भी खून जमीन पर गिर गया था।----- अग्रेतर प्रति परीक्षा में कहा कि घटना स्थल से मेरा भाई मुझे थाने ले गया था। थाने दोनों लोग गये थे। थाने 02.00 बजे या 02.15 बजे पहुंच गये थे। रिपोर्ट थाना पर ही लिखी गयी थी। मेरे भाई ने रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट मेरे बताने पर मेरे भाई ने लिखी थी। उस रिपोर्ट में केवल योगेश यादव पुत्र पप्पू का नाम लिखा है। तीन अन्य लोग लिखा था। अभियुक्त वीरेन्द्र नाम नहीं लिखा है। मैंने घटना स्थल रिपोर्ट में नहर के किनारे मारपीट वाली बात लिखी है, वह सही है। आज मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में नदी किनारे मेरे साथ मारपीट होने वाली बतायी है वह गलत है। मेरे भाई द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट में केवल योगेश यादव द्वारा मेरे साथ दराती से वार (चोट) पहुँचाने वाली बात लिखी है। किसी अन्य के द्वारा दराती मारने वाली बात नहीं लिखी है। यह बात सही है कि मेरे भाई ने जिस प्रकार से मैंने अपने साथ घटना घटित होने वाली बात बतायी थी उस प्रकार से नहीं लिखी है। थाने में मैं व मेरा भाई एक -डेढ घण्टा उपस्थित रहे। डाक्टरी कराने पुलिस सरकारी अस्पताल शिकोहाबाद लेकर मुझे गयी थी।-----मेरी 02.15 बजे अस्पताल पहुँचने वाली बात सही है। थाने 02.15 बजे पहुँचने वाली बात सही नहीं है। मुझे डाक्टरी रिपोर्ट अस्पताल से मिली थी, मेरे भाई को मिली थी या पुलिस वालों से मिली थी पता नहीं है। अस्पताल से मैं अपने भाई के साथ सीधा अपने घर गया था। थाना नहीं गया था। घटना के 3-4 दिन बाद पुलिस घर पर आयी थी। बचाव पक्ष की ओर किये गये सुझाव से चोटहिल सनी ने इंकार किया।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 राजकुमार चक्षुदर्शी साक्षी है, जो नगला प्रभू (अरोंज), थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद का निवासी है, ने अपने शपथपूर्वक बयान में है कि "घटना दिनांक 26-10-2016 की है। समय 11.30 बजे दिन का था। मैं अपने गाँव से सैफन नहर की तरफ जा रहा था। मैं सैफन पहुँचा था वहाँ मैंने देखा कि योगेश यादव, सनी से गाली गलौज कर रहा था तथा कह रहा था कि चमरे ज्यादा बनता है तथा सनी के शरीर से खून निकल रहा था। खून इस कारण निकल रहा था कि सनी के योगेश ने दराती से जान से मारने

की नीयत से वार किया था। मेरे साथ भूरा भी था। उसके बाद मैंने सनी के घर पर खबर की थी। सनी के घरवाले उठाकर बाजार में दवा दिलाने ले गये थे।" प्रति-परीक्षा में कहा कि मैं और चुटैल सनी व वादी एक ही गाँव के हैं। एक ही बिरादरी के हैं। सनी मेरे परिवार का है तथा मेरा चाचा लगता है। मेरे पिता जी के सनी के पिता मौसा है, इस कारण से सनी मेरा चाचा है। भूरा मेरा फूफा का लड़का है इस नाते मेरा भाई है। जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन मैं और भूरा नहर में मछली पकड़े के लिये गये थे। जिस स्थान पर हम लोग मछली पकड़ने गये थे, वहाँ मछली पकड़ नहीं पाये थे। सनी भी मछली पकड़ने गया था। सनी मछली पकड़ रहा था। उस स्थान पर अभियुक्त योगेश कुमार का खेत है। सनी और योगेश कुमार के बीच पहले से कोई लड़ाई झगड़ा है या नहीं मुझे नहीं पता है। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि जिस समय मैं सनी के पास पहुँचा था। उस समय सनी के खून निकल रहा था। सनी के साथ जिन लोगों ने मारपीट की थी, वह लोग जा चुके थे। सनी मुझे बेहोशी की हालत में मिला था। मैं सनी के भाई को बुलाने नगला प्रभू गया था। मैं घटना स्थल से सनी के घर उसके भाई को बुलाने पैदल गया था। भूरा सनी के पास रह गया था। मुझे घटना स्थल से नगला प्रभू सनी के घर जाने में 5 मिनट का समय लगा था। सनी का भाई सनी के घर पर नहीं मिला था। सनी का भाई श्याम सिंह नहीं मिला था। ----- जब मैं सनी के पास उसके मम्मी-पापा को लेकर पहुँचा था। तब तक सनी को होश नहीं आया था। सनी के मम्मी-पापा को गाँव से घटना स्थल तक जाने में 05 मिनट का समय लगा था। मम्मी-पापा को सनी के पास छोड़कर मैं और भूरा अपने-अपने घर चले गये थे। जब हम लोग घटना स्थल से लौटकर अपने-अपने घर जा रहे थे तो हमे व भूरा को सनी का भाई श्याम सिंह गाँव के पास ही सनी के पास जाने के लिये रास्ते में मोटरसाइकिल से मिला था। मेरी और भूरा की सनी के भाई श्याम सिंह से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। घटना के सम्बन्ध में सनी ने ही अपने भाई को बताया होगा। मुझे नहीं मालूम है। इस घटना के संबंध में दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ घटना के 15-20 दिन बाद मेरे घर पर ही की थी। धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयान को दिया जाना साक्षी ने बताया है। दराती से जान से मारने की वीयत से वार किया था यह बयान दिया है वह सही बयान

दिया है। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये सुझाव से इंकार किया है।

अभियोजन साक्षी भूरा पी०डब्लू० 4 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक बयान में कहा है कि "घटना दिनांक 26-10-2016 की है। समय 11.30 बजे दिन का था। मैं अपने घर से सैफन नदी की तरफ जा रहा था। मैंने देखा कि सनी के साथ योगेश, वीरेन्द्र मारपीट कर रहे थे। योगेश के हाथ में दराती थी। वीरेन्द्र के हाथ में डण्डा था। मुल्जिमान गाली-गलौज कर रहे थे। चमार कहकर सनी को अपमानित कर रहे थे। जैसे मैं पहुंचा था वह दोनों चले गये थे। मैंने यह घटना अपनी आँखों से देखी थी। चोट सनी के हाथ में, सिर में आयी थी। खून निकल रहा था। मैं फिर सनी के घर आकर श्याम सिंह भाई को बताया था। इस घटना के सम्बन्ध में मेरा सी०ओ० साहब ने बयान लिया था।" प्रति-परीक्षा में कहा कि घटना वाले दिन मैं नहर पर ऐसे ही घूमने के लिये गया था। घूमने के लिये घर से लगभग 11.00 बजे गया था। घूमने के लिये मैं अकेला नहीं गया था। मेरे साथ राजकुमार भी गया था। रिश्ते में राजकुमार भाई लगता है। मैं राजकुमार की बुआ का लड़का हूँ। सनी राजकुमार के मौसा का लड़का है, यह मुझे जानकारी नहीं है। ----- टहलते-टहलते नदी के पास राजकुमार के साथ पहुँचा था। मैं व राजकुमार जब पहुँचे थे तब मुझे व राजकुमार को सनी घायल अवस्था में मिला था। सनी के शरीर, हाथ व सिर से खून निकल रहा था। जब मैं और राजकुमार पहुँचे तो मुल्जिमान हम लोगों को देखकर चले गये थे। न मैंने कोई बीच-बचाव किया और न मुल्जिमानों को मारने पीटने के लिये मना किया था। क्योंकि मुल्जिमान हम लोगों को देखकर चले गये थे। अग्रेतर कहा कि मैं घटना स्थल पर पहुँचा था तो सनी मुझे होश में मिला था, अगर राजकुमार ने न्यायालय में यह बयान दिया हो कि मेरे व राजकुमार के पहुँचते समय मुझे व राजकुमार को सनी बेहोशी की हालत में मिला था तो यह बयान राजकुमार ने गलत दिया है। मछली पकड़ने वाला बयान भी राजकुमार ने गलत दिया है। मैंने सनी के शरीर पर कितनी चोटें थी मैंने नहीं देखी थी। घटना स्थल से सनी के घर सूचना देने में गया था। घटना स्थल से सनी के घर पैदल-पैदल गया था। सनी के घर पर सनी का भाई श्याम सिंह मिला था। उसको सूचना देने के बाद मैं घटना स्थल पर नहीं आया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरी सूचना देने के बाद सनी का

भाई श्याम सिंह घटना स्थल पर गया था या नहीं गया था। अगर राजकुमार ने यह बयान दिया है कि सनी के घर सूचना देने में गया था और भूरा वही पर रह गया था तो यह गलत बयान दिया है। अगर राजकुमार ने यह बयान दिया है कि सनी के माता पिता को लेकर घटना स्थल पर राजकुमार पहुंचा था और माता पिता को छोड़कर राजकुमार व मैं सनी से व उसके माता पिता से वही छोड़कर चले गये थे तो यह गलत बयान दिया है। अगर राजकुमार ने यह बयान दिया है कि मेरे व राजकुमार के पहुँचने पर सनी बेहोशी की हालत में मिला एवं राजकुमार द्वारा नगला प्रभू के सनी के माता-पिता को लेकर घटना स्थल पर पहुँचने तक सनी बेहोश मिला तो यह गलत बयान दिया है। मुझे दिशाओं का ज्ञान है। जिस स्थान पर सनी घायल अवस्था में मिला था उसके पूर्व में जसलई के लिये रास्ता है। दक्षिण में नहर है। उत्तर में खेत है। दक्षिण में भी खेत है। मैं अभियुक्त योगेश यादव को पहले से जानता था। मैं अभियुक्त को इस कारण से जानता था कि घटना स्थल पर अभियुक्त योगेश का खेत है। मैंने घटना स्थल से दो लोगों को भागते हुए देखा था। मैंने दोनों लोगों को पीठ पीछे से भागते हुए देखा था। इस घटना के सम्बन्ध में मैंने सनी के भाई को मैंने हाथ और सिर में चोट लगने वाली बात बतायी थी। यह बात मैंने सनी के भाई श्याम सिंह से नहीं बतायी थी कि कि किन अभियुक्तों ने व कितने अभियुक्तों ने सनी के साथ मारपीट की है। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। आज मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में सनी से चामर कहकर अपमानित कर रहे थे एवं योगेश के हाथ में दराती व वीरेन्द्र के हाथ में डण्डा था यह बात मैं सुनकर व देखकर बयान दिया है यदि यह बात धारा 161 द०प्र०सं० के बयान में नहीं लिखी है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।"

चोटहिल सनी की चोटों का डाक्टरी मुआयना डा० श्याम मोहन गुप्ता पी०डब्लू० 6 ने दिनांक 26-10-2016 को किया था। उस तिथि को वह जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में बतौर आकस्मिक चिकित्साधिकारी तैनात थे। समय 02.18 PM पर मजरूब सनी का डाक्टरी परीक्षण किया था, जिसे होमगार्ड 1369 कौशल किशोर थाना शिकोहाबाद लेकर आया था। साक्षी पी०डब्लू० 6 के अनुसार निम्न चोटें पाई गई-

चोट नं० 1- एक कटा हुआ घाव 5.6cmX0.5cmX माँस तक गहरा बांयी हाथ की बांयी तरफ था। चोट के किनारे साफ सुथरे थे।

चोट नं० 2- एक खरोच सहित नीलगू निशान 1X1cm जो बांये हाथ के बाहरी तरफ मध्य उंगली में लालिमा लिये थी।

चोट नं० 3- एक कटा हुआ घाव U आकार का था जो 14cmX0.5cmX माँस तक गहरा था। जो बांयी अग्र भुजा के लोअर 1/3 पार्ट पर थी। घाव के किनारे अव्यवस्थित थे।

चोट नं० 4- एक नीलगू निशान 7cmX2cm लेफ्ट अपर आर्म पर लालिमा लिये स्थित था।

चोट नं० 5- छाती के दाहिनी तरफ पीछे कीओर दर्द की शिकायत की थी। कोई भई जाहिरा चोट नहीं थी।

चोट नं० 6- एक नीलगू निशान 2mX2cm जो सिर के दाहिनी तरफ था। जो दाहिने कान से 7cm ऊपर की तरफ था।

साक्षी ने मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-4 पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की है। प्रति-परीक्षा में कहा कि चोट नं० 1 मोटरसाइकिल से, किसी धारदार पट्टी अथवा लोहे की किसी नुकीली वस्तु पर गिरने से आ सकती है। चोट नं० 2 नीलगू थी जो खरोच युक्त नीलगू थी। यह चोट भी मोटरसाइकिल से पक्की सड़क पर गिरने से आ सकती है। चोट नं० 3 फटा हुआ घाव है यह भी मोटरसाइकिल से गिरने से आ सकती है व चोट नं० 4 भई मोटरसाइकिल से गिरने से आ सकती है। चोट नं० 5 कोई जाहिरा चोट नहीं थी, केवल दर्द बताया था। चोट नं० 6 भई मोटरसाइकिल के गिरने से आ सकती है। चोट नं० 1 का आकार 5.6cmX0.5cm है जो कि दराती से आना संभव नहीं है।

दौरान विवेचना विवेचक श्री वी०के० तिवारी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद की मृत्यु हो गयी है। उनके सम्बन्ध में द्वितीयक साक्षी के रूप में श्री हरेन्द्र कुमार शर्मा को परीक्षित किया गया है, जिन्होंने विवेचक लिखते-पढते देखा है। विवेचक वी०के० तिवारी की मृत्यु दिनांक 04-04-2019 को हो चुकी है। मृत्यु के सम्बन्ध में रिपोर्ट व प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर नक्शा नजरी 5 अ प्रदर्श क-5 पर साक्षी ने उनके हस्ताक्षर की पहचान किया।

आरोप पत्र प्रदर्श क-6 पर तत्कालीन विवेचक के हस्ताक्षर की पहचान साक्षी ने किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक परिशीलन से यह बात सिद्ध है कि घटना वाले दिन अर्थात् 26-10-16 को लगभग 11.30 बजे चोटहिल/अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 सनी सिंह खेतों की तरफ गया था। रास्ते में नहर पर योगेश और वीरेन्द्र अभियुक्तगण मिले। उन लोगों ने सनी सिंह के साथ मारपीट की जाति सूचक गालियां दी। दराती जैसे धारदार हथियार से चोटें कारित की। इस घटना को अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 राजकुमार एवं पी०डब्लू० 4 भूरा ने देखा। भूरा पी०डब्लू० 4 ने आकर वादी श्याम सिंह पी०डब्लू० 1 को बताया। श्याम सिंह घटना स्थल पर मोटरसाइकिल से गया और सनी को थाने लेकर गया। घटना स्थल वादी के घर से 4 खेतों की दूरी पर स्थित है। घटना के सम्बन्ध में टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1 थानाध्यक्ष शिकोहाबाद को दिया गया। किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन अर्थात् 27-10-2023 को समय लगभग 01.00 बजे पंजीकृत की गयी। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि घटना की रिपोर्ट करने में अनुचित विलम्ब कारित किया गया है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि चोटहिल सनी सिंह को चोटें आईं। तत्काल पी०डब्लू० 1 थाने पर लेकर गया जहाँ से होमगार्ड के साथ शिकोहाबाद मेडिकल कराने हेतु भेजा गया। मेडिकल कराने के बाद श्याम सिंह वापस आ गया। टाइपशुदा प्रार्थना पत्र पर दिनांक 26-10-2016 अंकित है, किन्तु 6 के ऊपर 7 कटिंग की गयी है। यदि कुछ क्षण के लिए मान लिया जाये कि 27-10-16 को प्रार्थना पत्र दिया गया, किन्तु यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि चोटहिल के इलाज में वादी व्यस्त था। यह संभव है कि मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया। न्यायालय के मत में उपलब्ध परिस्थितियों के आलोक में किसी प्रकार अनुचित विलम्ब नहीं कारित किया गया है। घटना 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच की है। पी०डब्लू० 1 घटना स्थल पर सूचना प्राप्त होने के उपरान्त लगभग पौने 12 बजे पहुँच गया था। घटना स्थल पर पहुंचने के उपरान्त सनी सिंह चोटहिल ने अभियुक्त योगेश का नाम बताया था। तीन अन्य लोगों को भी बताया था, किन्तु नाम नहीं बताया था। राजकुमार पी०डब्लू० 3 भी घटना स्थल पर मौजूद मिला था, उसने

पूछने पर वादी को बताया कि घटना कैसे हुई। घटना स्थल जो साक्षीगण के बयान में आया है वह विवेचक द्वारा तैयार किये गये नक्शा नजरी से मेल खाता है। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी पी०डब्लू० 1 द्वारा मोटरसाइकिल से घटना स्थल पर जाने का कोई तथ्य अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि वीरेन्द्र नाम के किसी अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं कराया गया, जबकि चोटहिल ने कथित रूप से पी०डब्लू० 1 को यह बात बतायी थी। यह सुस्थापित विधि है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्पूर्ण घटनाक्रम का विश्वकोष नहीं हो सकता है। प्रत्येक तथ्य का अंकन होना आवश्यक नहीं है, किन्तु आवश्यक तथ्यों का अंकन किया जाना आवश्यक है। विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अंकित किये गये थे। सनी सिंह पी०डब्लू० 2 के साक्ष्य में आया है कि वह लगभग 11 या 12 बजे घटना स्थल पर पहुँच गया था। उस समय वह खेतों पर जा रहा था वही पर योगेश व वीरेन्द्र उससे मारपीट करने लगे और चमार कहकर गाली दिया। सनी सिंह के कथनानुसार उसको 4-5 चोटें आई थी। घटना स्थल पर राजकुमार व भूरा भी आ गये थे। राजकुमार पी०डब्लू० 3 व पी०डब्लू० 4 भूरा की उपस्थिति घटना स्थल पर साबित है, जो घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं। चक्षुदर्शी साक्षियों ने चोटहिल को बचाया भी था। चोटहिल का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल शिकोहाबाद में हुआ था। मारपीट नहर के किनारे हुई थी। चोटहिल के अनुसार मारपीट करने वाले दो लोग थे। अभियुक्तगण द्वारा दराती का प्रयोग किया गया जो एक धारदार हथियार है। चोटहिल और अभियुक्तगण का पूर्व से कोई झगड़ा नहीं था और न कभी कोई लड़ाई हुई थी। इसलिए अभियुक्तगण को रंजिशन फंसाया जाने का कोई हेतुक साबित नहीं है। मारपीट 2-3 मिनट तक हुई थी। योगेश व वीरेन्द्र के पास दराती थी। पहले दराती योगेश ने बांये हाथ के पंजे पर मारी थी। दूसरी दराती योगेश ने मारी थी। वीरेन्द्र ने दराती बांये हाथ में मारी थी और पीठ पर लात-घूंसे से मारपीट की गयी। चोटों से खून भी निकला था। चोटें लगने के बाद चोटहिल सनी बेहोश हो गया था। कुछ समय पश्चात ही वह होश में आ गया था। जिस समय श्याम सिंह पी०डब्लू० 1 घटना स्थल पर पहुँचा था उस समय सनी सिंह होश में आ गया था। चोटहिल के बयान में आया है कि श्याम सिंह पी०डब्लू० 1 मोटरसाइकिल से गया था। भूरा व राजकुमार की सूचना पर भाई के

पास पहुँचा था। पी०डब्लू० 2 सनी सिंह की साक्ष्य के अनुसार जिस स्थान पर मारपीट हुई थी उस स्थान घटना स्थल के पूर्व में कच्चा रास्ता जाता है। पश्चिम में नहर है। उत्तर में नदी है। दक्षिण में गाँव है। पी०डब्लू० 2 ने कहा कि घटना स्थल से मेरा भाई थाने ले गया था। थाना 02.00-02.15 के बीच पहुंच गया था। पी०डब्लू० 2 ने इस बात को स्वीकार किया कि जिस प्रकार से घटना घटित होना उसने वादी पी०डब्लू० 1 को बताया था उस प्रकार से तहरीर में नहीं लिखा है। बचाव पक्ष की ओर से इस ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि चोटहिल के साथ हुई कथित घटना कि सूचना पी०डब्लू० 3 राजकुमार ने चोटहिल के घर जाकर देना बताया है जबकि पी०डब्लू० 4 ने सूचना देने की बात कही है। पी०डब्लू० 3 ने अपने साक्ष्य में कहा कि 26-10-2016 को वह नहर की तरफ जा रहा था वहा देखा कि योगेश यादव, सनी सिंह के साथ मारपीट कर रहा था और चमरा कह रहा था। उसको खून निकल रहा था। खून इस कारण निकल रहा था कि सनी के योगेश ने दरती से जान से मारने की नीयत से वार किया था। मेरे साथ भूरा भी था। उसके बाद मैंने सनी के घर पर खबर की थी। पी०डब्लू० 4 भूरा के साक्ष्य में आया है कि मैं घटना स्थल पर था। राजकुमार ने सनी के सम्बन्ध में कहा कि जब घटना स्थल पर पहुँचा तो सनी बेहोशी ही हालत में था, इस बात का खण्डन पी०डब्लू० 4 भूरा ने किया राजकुमार ने कहा मैं घटना स्थल से पैदल गया था किन्तु सनी का भाई श्याम सिंह नहीं मिला। उसके माता-पिता मिले थे। माता-पिता को लेकर सनी के पास पहुँचा था। जबकि पी०डब्लू० 4 ने अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 26-10-16 को 11.30 बजे दिन का समय था। घर से सैफन नदी की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि सनी सिंह के साथ योगेश व वीरेन्द्र मारपीट कर रहे थे। योगेश के हाथ में दरती व वीरेन्द्र के हाथ में डण्डा था। गाली-गलौज कर रहे थे चमार कहकर अपमानित कर रहे थे। घटना को अपनी आँखों से देखने के बाबत कथन किया। सनी को घायल अवस्था में मिलने की बात कही। उसको खून निकल रहा था। अग्रेतर यह भी कहा कि सनी सिंह होश में मिला था। अगर राजकुमार ने बेहोशी के बाबत कथन किया है तो उसने गलत कथन किया है। प्रति-परीक्षा के प्रस्तर 6 में भूरा ने कहा कि "मैं घटना स्थल से सनी के घर सूचना देने गया था। पैदल गया था। राजकुमार, सनी के पास रह गया था। सनी के घर पर उसका भाई

श्याम सिंह मिला। इस प्रकार चोटहिल के घर सूचना देने के बाबत विरोधाभासी कथन आया है, किन्तु यह सिद्ध हो चुका है कि राजकुमार और भूरा घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं। यह कथित विरोधाभास अभियोजन कथानक के लिए घातक नहीं है। मूल बात यह है कि सनी सिंह के साथ होने वाली घटना कि सूचना उसके घर पर दी गयी और इस सूचना को प्राप्त कर श्याम सिंह पी०डब्लू० 1 मोटरसाइकिल से घटना स्थल पर पहुंचा था। अभियुक्तगण, चक्षुदर्शी साक्षी और वादी पूर्व से एक-दूसरे को जानते पहचानते थे। पहचान के सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं है। सनी सिंह के मेडिकल परीक्षण में जिस प्रकार की चोटें आई हैं और साक्षियों के बयान में जिस प्रकार की चोटों का तथ्य सामने आया है उसमें तात्विक अन्तर नहीं है। मेडिकल परीक्षण में चोटहिल के शरीर पर कटा हुआ घाव, खरोंच और नीलगू निशान पाये गये थे। उक्त चोटें धारदार हथियार से कारित की गयी हैं। सनी सिंह को आई चोटें स्वाकारित नहीं थी, अपितु अभियुक्तगण द्वारा कारित चोटे थी। अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के क्रम में सनी सिंह पी०डब्लू० 2 को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की गयी, धारदार हथियार दराती से वार किया गया। उसके साथ यह जानते हुए गाली-गलौज की गयी वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली-गलौज की गयी। दराती जैसे हथियार/उपकरण का प्रयोग किया गया जो यदि आक्रामक तौरपर प्रयुक्त किया जाये तो उससे मृत्यु होना स्वाभाविक है। चोटहिल को स्वेच्छया पीड़ा कारित की गयी है। उसे जाति सूचक गालियां दी गयी। अपमानित एवं गंभीर प्रकोपन किया गया। चोटहिल को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया और गाली-गलौज की गयी। अभियोजन साक्षियों के बयानों में कथित विरोधाभास इंगित किये गये हैं, वह अभियोजन कथानक के मूल आधार को प्रभावित नहीं करते हैं। अभियोजन अकाट्य एवं विश्वसनीय साक्ष्यों के आलोक में अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। अभियोजन उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323,324,504 भा०द०सं० व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्तगण को कदापि रंजिशन नहीं फंसाया गया है। अभियुक्तगण वीरेन्द्र एवं योगेश अन्तर्गत धारा 323,324,504

भा०द०सं० व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण योगेश यादव एवं वीरेन्द्र सिंह को आरोप अंतर्गत धारा 323,324,504 भा०द०सं० व धारा 3(1) द, ध, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनकी जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 29.08.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्त/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण गरीब परिवार से हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्तगण का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

अभियुक्त योगेश यादव निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये)

रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 02 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) द,ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 02 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) द,ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

अधिरोपित धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि चोटहिल सनी सिंह को अपील अवधि अथवा अपील के अन्तिम निस्तारण के उपरांत अदा की जाए।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 29.08.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 29.08.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193